सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/167 दायर दिनांक 21.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. नारायणसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी खुनखुना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कालू खां पुत्र दुले खां 2. भूरे खां पुत्र दुले खां 3. छोटी बेगम पत्नी मुंशी खां 4. आरीफ खां पुत्र मुंशी खां 5. आसीफ खां पुत्र मुंशी खां समस्त जाति कायमखानी निवासी खुनखुना 6. मांगीलाल पुत्र आशाराम 7. 7/1 गौरी शंकर पुत्र सत्यनारायण 7/2 हरिश पुत्र सत्यनारायण 7/3 सरलादेवी पत्नी सत्यनारायण 8. पवन चौधरी पुत्र रतनलाल जाति जाट 9. मनोज कुमार पुत्र रतनलाल जाट 10. सुरजमल पुत्र रामदयाल जाति ब्राहम्ण 11. सरस्वती पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण 12. चंपादेवी पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण समस्त निवासीगण खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 13. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पक्षकारान आज मजमें आम न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खुनखुना में उपस्थित हुए। वाकै सरहद खुनखुना के खसरा सं0 196 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें वादी का खरीद शुदा हिस्सा 01 बीघा है। जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसमें प्रतिवादी सं0 01 ता 05 का 20 बीघा 07 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 06 व 07 का 03 बीघा 11 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 08 व 09 का 01 बीघा, प्रतिवादी सं0 10 का 01 बीघा, प्रतिवादी सं0 11 व 12 का 01 बीघा भूमि है। जो

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 167
दायर दिनांक 21.06.2017, निर्णय दिनांक 27.06.2017
नारायणसिंह बनाम कालू खां, वगैरा।

राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिनका मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा होकर सींवे निवें कायम है। उपरोक्त खसरान का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को प्रताडित एवं बेदखल करने की धमकियां देने के कारण वादी अपने हिस्से की एकल खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। इसलिए वाद करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि वाकै सरहद खुनखुना के खसरा सं0 196 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से वादी का 01 बीघा भूमि का बंटवारा कर अलग खातेदारी दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण को रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वे वादी के हिस्से में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें तथा न अन्य से करावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खुनखुना में पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त वादित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खुनखुना के खसरा सं0 196 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से वादी नारायणसिंह की खरीद शुदा 01 बीघा भूमि का स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता यथावत रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **27.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प खुनखुना में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 16/1/2018

नोट:- वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार वादी को 01 बीघा भूमि का स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017/167** दायर दिनांक **21.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. नारायणसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी खुनखुना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. कालू खां पुत्र दुले खां वगैराह समस्त जाति कायमखानी निवासी खुनखुना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 27.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खुनखुना के खसरा सं0 196 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से वादी नारायणसिंह की खरीद शुदा 01 बीघा भूमि का स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता यथावत रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट खुनखुना में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक:- 16/1/2018

नोट:- वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार वादी को 01 बीघा भूमि का स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner